

कार्यालय आयकर निदेशक (छट),

Office of the Director of Income Tax (Exemption) दूसरी मंजिल, नेचर व्यू बिल्डिंग, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009

(Tel: 26586665/ Tele & Fax: 26584551)

फा.सं. आनि(छू.)/12एए/3 90/20	09-10

ਗ.:23-03-2010

पैन/PAN :AABTC1095N

ट्रस्ट का नाम/ Name of the Trust: CHINAI FOUNDATION

12/A, Devpreet Bungalows, Opp. New **Engineering College, Visat Koba** Highway, Motera, Ahmedabad -380 005

ORDER UNDER SECTION 12AA OF THE INCOME TAX ACT IN THE CASE OF CHINAI FOUNDATION / के मामले में आयुकर अधिनियम 1961 की धारा 12एएके अंतर्गत उक्त टस्ट/संस्थान ने दिनांक _ को फॉर्म सं 10ए में आवेदन किया है जिसका विवरण इस प्रकार से है: The above named Trust/Institution has filed an application in Form No.10A on 27-10-2009. The particulars are as under:-ट्रस्ट डीड/संविधान -Trust- deed /Constitution Dated रजिस्टार, सोसायटी/कंपनी के साथ संगठन के पंजीकरण का जापन दिनांक (ख) Memorandum of Association registered with the Registrar of Societies/Companies on तदन्सार,ट्रस्ट/संस्थान को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए(2) के तहत _____ से पंजीकृत किया जाता है.

Accordingly, the Trust/Institution has been registered u/s.12AA of the I.T.Act 1961, with effect from 31-07-2009.

इस प्रमाण पत्र द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अंतर्गत केवल पंजीकरण किया गया है इससे धारा 11,12 व 13 या आयकर अधिनियम 1961 के अन्य उपबन्धों के संचालन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है. इनके बारे में निर्धारण अधिकारी योग्यता के आधार पर निर्णय लेगा.

This certificate testifies to the fact of registration u/s.12AA of the IT Act, 1961 only. It does not confer any right or entitlement regarding operation of Sections 11, 12, & 13 or any other provisions of the IT Act, 1961 which is to be decided by the Assessing Officer on merits.

मेरे द्वारा अहमदाबाद में दिनांक_ को दिया गया.

Given under my hand at Ahmedabad on the 23rd March, 2010 .

आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद Director of Income Tax (Exemption), Ahmedabad

प्रतिलिपि:

हमदाव

- (1) उक्त आवेदक को / Above Applicant
- (2) अपर आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद
- (3) उप आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद
- (4) गार्ड फाईल

आयकर अधिकारी (मृ.),

Income Tax Officer (HQ)

कृते आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद

For Director of Income Tax (Exemption), Ahmedabad